

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर

क्रमांक - जिशिअ/प्राशि/गंगा/मान्यता/12/२०१८

दिनांक - १०/१०/१३

(आर.टी.ई. एक्ट के अन्तर्गत पुनः पंजीयन)  
मान्यता कोड संख्यांक 0826

प्रबन्धक,  
एशियन पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति  
35 बीबी गजसिहपुर (पदमपुर)

विषय - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम  
2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य  
बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के निम्न ॥ के उप  
नियम (4) के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण - पत्र।

महोदय,


आपके दिनांक 30.03.2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विधालय के साथ  
पश्चात् वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं एशियन पब्लिक स्कूल 35 बीबी गजसिहपुर (पदमपुर )  
(माध्यम हिन्दी) को दिनांक 28.03.2013 से 28.03.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8  
तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को  
पूरा किये जाने के अध्यधीन है :-


- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात्  
मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क  
और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विधालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ास के कमजोर  
वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य<sup>प्राथमिक शिक्षा</sup>, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबन्धों के  
अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विधालय इक व्रद्धक, बैंक  
खाता रखेगा।
- सोसायटी/विधालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके  
माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्राप्तान न होने के कारण प्रवेश देने से इच्छार नहीं  
करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित<sup>आधार</sup> पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- विधालय सुनिश्चित करेगा कि :-
  - प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी  
कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की  
अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए  
अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निःशक्ताता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का  
समावेश किया जाना।
  - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (I) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम  
अर्हताओं के साथ की जाती हैं परन्तु और यह कि विद्यालय अध्यापक जिनके मास इस  
अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम  
अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
  - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (I) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता  
है, और
  - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलायों में नियोजित नहीं करेंगे।
  - विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
  - विधालय अधिनियम की धारा -19 के अधिकथित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में  
विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
  - विधालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विधालय के मानकों और संनियमों को बनाये  
रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है :-

विधालय परिसर का क्षेत्र 8096.65 वर्गमीटर  
कुल निर्मित क्षेत्र 1473.30 वर्ग मीटर  
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल ०० वर्ग मीटर  
कक्षा कमरों की संख्या - १९

प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह —भंडार कक्ष - ०३  
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - १०  
पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।  
मिड—डे—मील पकाने के लिए रसोई - नहीं  
बाधा रहित पहुंच

- \* अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करण/पुस्तकालय की उपलब्धता - उपलब्ध है।
- 11. विधालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विधालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 12. विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 13. विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 14. विधालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 15. विधालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर को भेजी जानी चाहिए।
- 16. आपके विधालय को आंवटित मान्यता कोड संख्यांक ०८२६ है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
- 17. विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/ जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमीयों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।
- 18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएं।
- 19. संलग्न उपाबन्ध— III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

(  
जिला निदेशक अधिकारी  
प्रा० शिं० श्रीगंगानगर

  
CHAIRMAN  
ASIAN PUBLIC SCHOOL  
35 BB (GAJSINGHPUR)